



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64916

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 5922/2026

रामअवतार देवांगन

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: संदीप मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप मिश्रा और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री राधेश्याम की दलीलें सुनी गईं और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह वर्तमान जमानत याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत आवेदक रामावतार देवांगन की ओर से दायर की गई है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि उसे पुलिस स्टेशन जी.आर.पी. झांसी, जिला झांसी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 431/2025, एन.डी.पी.एस. की धारा 8/20 के तहत चल रहे मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक के बैग से 5.145 किलोग्राम गांजा बरामद होना बताया गया है और कथित बरामदगी वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 18.12.2025 से जेल में है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत अर्जी का विरोध किया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक के थैले से 5.145 किलोग्राम गांजा बरामद होना बताया गया है और कथित बरामदगी व्यावसायिक मात्रा से काफी कम है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 18.12.2025 से कारागार में है।

6. सभी तथ्यों, प्रकृति और दस्तावेजों से मिले सबूतों को देखते हुए और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 को भी ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, जमानत दी जा सकती है। इसलिए, यह जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

7. उपर्युक्त मामले में शामिल आवेदक रामावतार देवांगन को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए ₹50,000/- के व्यक्तिगत मुचलके और उतनी ही राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, भय या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा।

(iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय की गई तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक हलफनामा दाखिल करेगा कि जब गवाह परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. यदि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। अवर अदालत इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



25 मार्च 2026

कुमार मनीष

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”